(7)

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक ७।१३।७५।१०।२ भोपाल, दिनांक १२ अप्रैल १९७७

प्रति,

प्रमुख वन संरक्षक
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :- मध्य प्रदेश में वनों से निस्तार सुविधायें ।

मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जन साधारण के दैनिक जीवन में शासकीय वनों (जो वन विभाग के प्रबंध में है) से निस्तार सुविधाओं का बड़ा महत्व रहा है । यह निस्तार सुविधायें मुख्यत: जलाऊ लकड़ी, बांस, निस्तारी इमारती लकड़ी, कांटे, तथा पशुओं की चराई बाबत है । इस संबंध में कुछ गलत फहमी फैली हुई है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है ।

राज्य शासन ने इस मामले पर गम्भीरता से विचार कर यह निर्णय लिया है कि इन निस्तार सुविधाओं के बारे में जो स्थिति सन् १९७४ में विद्यमान थी वह फिर से कायम की जाय । अत: अब यह सुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

१-बांस

बांस प्रदाय के संबंध में व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी:-

अ-ग्रामीणों के लिये :- निस्तार पाने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष २५० तक बांस दिए जावेंगे । प्रदाय कूप अथवा विभागीय डिपो पर किया जावेगा जिसके लिये क्रमश: १५ पैसा अथवा २५ पैसे प्रति बांस के दर से शुल्क लिया जावेगा । जो ग्रामीण पूर्व में अपने निस्तार के लिये बांस काट कर लेते थे उन्हें यह सुविधा अभी भी दी जायगी और उसके लिये शुल्क केवल ५ पैसे प्रति बांस लगेगा । लेकिन बस्तर जिले में यह शुल्क केवल २ पैसे प्रति बांस लिया जायगा ।

---२

(ब)नगरों के लिये :- प्रति बसोड़ परिवार का १५०० तक बांस प्रति वर्ष दिया जावेगा। प्रदाय विभाग द्वारा कटकर कूप अथवा विभागीय डिपो में किया जावेगा जिसके लिये क्रमश: ४० पैसे अथवा ६० पैसे प्रति बांस की दर से शुल्क लिया जावेगा। यदि किसी क्षेत्र में बांस उपलब्ध न हो तो सुविधानुसार अन्य क्षेत्र से प्रदाय का प्रयास किया जावेगा।

(स)पान बरेजों के लिये :- प्रति पान बरेजा परिवार को ३ हजार तक बांस प्रति वर्ष दिया जावेगा। प्रदाय विभागीय डिपो से किया जावेगा। शुल्क की दर ८० पैसे प्रति बांस रहेगी।

(द)फल उत्पादकों, अगरबत्ती निर्माताओं एवं टोकरी के चौखट बनाने वालों के लिये :- उनकी आवश्यकतानुसार एक या दो मीटर लम्बाई के बांस वन विभाग के डिपो से रुपये १५० प्रति २,००० मीटर की दर से विकास खण्ड अधिकारी अथवा उद्योग विभाग के सहायक संचालक के प्रमाण पत्र पर दिए जावेंगे। एक पार्टी को अधिकाधिक १० हजार मीटर तक बांस दिया जावेगा। यह सुविधायें बांस की उपलब्धता पर निर्भर रहेगी।

जलाऊ लकड़ी

(अ)ग्रामीण क्षेत्रों के लिये

१-शासकीय वनों से कोई भी ग्रामीण गिरी, पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी सिर भार से स्वयं के निस्तार अथवा बेची के लिये निःशुल्क ले सकता

२-इसी प्रकार वास्तविक निस्तार के लिये वनों से ग्रामीण गिरी, पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी उपलब्धता के अनुसार बैल गाड़ी अथवा भैंसा गाड़ी से ला सकते हैं जिसके लिये प्रति गाड़ी शुल्क की दर रुपये २ से अधिक नहीं होगी। लेकिन भूतपूर्व बस्तर एवं कांकेर राज्यों के क्षेत्रों में यह दर क्रमश: ५० पैसे तथा रुपया १ प्रति गाड़ी रहेगी।

३-इसके अलावा ग्रामीणों को निस्तारीय और घरू जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने के लिये, विभाग द्वारा काटी गई ऐसी लकड़ी डिपो में चट्टों के रूप में उपलब्ध कराई जावेगी। पूरा चट्टा २:१:२ मीटर का होगा और आधा चट्टा १:१:१ मीटर का होगा। लकड़ी काटने और चट्टा लगाने का व्यय किसी भी क्षेत्र में रुपये ५ प्रति चट्टा से अधिक नहीं होगा लेकिन बस्तर जिले में यह व्यय नहीं लिया जावेगा।

२-गैर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये

१-ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जो गिरे, पड़े, मरे, सूखे, जलाऊ लकड़ी सिर बोझ से निःशुल्क लाने की सुविधा है, वही सुविधा गैर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को भी उपलब्ध होगी।

२- उपभोक्ताओं के लिये लकड़ी बेचने के लिये जलाऊ लकड़ी वन डिपो में चट्टों के रूप में दी जावेगी। इसके लिये बाजार भाव एवं बाजार की दूरी का ध्यान रखते हुए संबंधित वन संरक्षक विक्रय दरें निर्धारित करेंगे।

३- शहरों और बड़े कस्बों के लिये, आवश्यकता के अनुसार, जलाऊ लकड़ी की फुटकर बिक्री की व्यवस्था निगम द्वारा निर्धारित दरों पर की गई है।

३- निस्तारी इमारती लकड़ी

वास्तविक निस्तार के लिये इमारती लकड़ी सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराने के लिये निस्तार डिपो पुनः स्थापित किए गए हैं। इन डिपो से जो इमारती लकड़ी निस्तार हेतु दी जावेगी उसके ढुलाई का वास्तविक व्यय तो लिया जावेगा लेकिन रायल्टी केवल आधी ली जावेगी।

----४

बस्तर जिले में परम्परागत सुविधा के अन्तर्गत रायल्टी व शर्त दोनों नहीं लिये जावेंगे और निस्तारी इमारती लकड़ी वन विभाग द्वारा कूप से काट कर उपलब्ध कराई जावेगी ।

४- कांटे

वनों से वास्तविक निस्तार के लिये कांटे प्राप्त करने की सुविधा पूर्ववत लागू है । यह सुविधा निःशुल्क होगी ।

५- चराई

अ- राज्य के मवेशियों को वनों में चराई सुविधा देने के उद्देश्य से बनाए गए पुराने नियम लागू होंगे लेकिन गोवंश, भैंसा, भैंस पाड़ा एवं पाड़ों के लिये यह शुल्क नहीं लिया जावेगा ।

ब- राज्य के बाहर के मवेशियों को आरक्षित वनों में चराई वर्जित,

राज्य शासन के यह भी आदेश हैं कि इस विषय पर पूर्व में प्रसारित सभी आदेश निरस्त माने जावें और विभाग के सभी अधिकारियों एवं नीचे से नीचे स्तर तक के कर्मचारियों को इस संबंध में भली प्रकार अवगत करा दिया जावे ताकि जनसाधारण को किसी प्रकार की असुविधा न हो । यह भी आवश्यक है कि उपरोक्त सुविधाओं का अधिकाधिक प्रचार प्रसार कराया जावे ताकि किसी प्रकार की गलत फहमी न रहे ।

(अमर सिंह)
विशेष सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

१२-८-६९

(339)

(1)

(५)

पृ०क्र० [illegible] ।१०।२। . भोपाल, दिनांक १२ अप्रैल १९७७

प्रतिलिपि:-

१- समस्त आयुक्त, राजस्व सम्भाग, मध्यप्रदेश

२- समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश

३- मुख्य वन संरक्षक (परिश्रम क्षेत्र) और मुख्य वन संरक्षक (पूर्व)

४- समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

५- समस्त वन मंडलाधिकारी, मध्यप्रदेश

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

नै: १२-४-७७

(12)

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक:- 7/23/79/10/3 भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर, 1985

प्रति,

प्रमुख वन संरक्षक,
मध्य प्रदेश, भोपाल

विषय:- मध्यप्रदेश में वनों से निस्तार सुविधा.

संदर्भ:- म0प्र0शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक 7/13/75/10 दिनांक 12-4-77 ।

=0=

राज्य शासन ने उपरोक्त पत्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जनसाधारण को उपलब्ध कराई जाने वाली निस्तार सुविधा बाबत निर्देश जारी किये थे एवं दरों का निर्धारण किया था । राज्य शासन द्वारा उक्त विषय पर विचार किया जाकर इन सुविधाओं में या दरों में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है जो कि निम्नानुसार है :-

(1) बांस:- बांस प्रदाय के संबंध में व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :-

(अ) ग्रामीणों के लिये :- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 250 बांस तक दिये जायेंगे । बांस का प्रदाय विभागीय डिपो से ही किया जायेगा । बांस की रायल्टी सवा 0.25 प्रति बांस होगी तथा इसमें तात्कालिक कटाई एवं ढुलाई व्यय लगाते हुये डिपो से प्रदाय दर वन संरक्षक द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

(ब) व्यापारियों के लिये :- प्रत्येक व्यापारी परिवार को प्रतिवर्ष उपलब्धता के आधार पर 1500 बांस तक प्रदाय किये जायेंगे । प्रदाय विभागीय डिपो से किया जावेगा जो वनों से 40 कि0मी0 तक की दूरी वाले डिपो से प्रथम 500 बांस की दर रुपये 0.60 प्रति बांस एवं इससे अधिक व 1500 तक रुपये 0.75 प्रति बांस रहेगी । 40 कि0मी0 से अधिक दूरी वाले डिपों में अतिरिक्त परिवहन व्यय जोड़कर दरों का निर्धारण वन संरक्षक द्वारा किया जायेगा ।

(स) पानखेरजा के लिये:- उपरोक्त आवश्यकता की पूर्ति होने पर उपलब्धता के आधार पर पान बरेजा वालों को बांस उपलब्ध कराया जावेगा । प्रत्येक पान बरेजा परिवार को एक वर्ष

-2/

में अधिकतम एक हजार बांस तक दिये जायेंगे । प्रदाय विभागीय डिपो से किया जायेगा । बांस की रायल्टी रूपये 1.50 प्रति बांस रहेगी एवं वास्तविक कटाई ढुलाई व्यय जोड़कर डिपो से प्रदाय दर का निर्धारण वन संरक्षक द्वारा किया जायेगा ।

(द) फल उत्पादकों, अगरबत्ती निर्माताओं, और बीड़ी की पोखट बनाने वालों के लिये औद्योगिक बांस अधिकतम पांच नोशनल टन तक एक वर्ष में दिया जा सकेगा । प्रदाय दर रूपये 200/- प्रति नोशनल टन या मिलों को प्रदाय दर जो भी अधिक हो, रहेगी । प्रत्येक वर्ष इन दरों की सूचना मुख्य वन संरक्षक द्वारा संबंधितों को दी जायेगी ।

(2) जलाऊ लकड़ी:-

(अ) शासकीय वनों से गिरी, पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी सिरबोझ से स्वयं के निस्तार या बेचने के लिये निःशुल्क ले जाई जा सकती है ।

(ब) इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में तात्कालिक निस्तार के लिये वनों से गिरी, पड़ी मरी, सूखी लकड़ी उपलब्धता के आधार पर बैलगाड़ी [illegible] सकेंगे । [illegible] होगा । [illegible] होगा [illegible] द्वारा दी जायेगी जहां [illegible] मात्रा में उपलब्ध हो ।

(स) यदि निस्तार की पूर्ति के [illegible] गिरी, पड़ी, मरी, सूखी जलाऊ लकड़ी [illegible] बैलगाड़ी/भैंसगाड़ी द्वारा [illegible] सकेगा । यह दर रूपये 18/- प्रति [illegible] । [illegible] होगा । इस कार्य हेतु जलाऊ लकड़ी [illegible] निर्णय वन अधिकारियों द्वारा किया जायेगा ।

//3//

जो दरें दिनांक एक अक्तूबर 1985 से लागू मानी जायेंगी ।

भिखारी व इमारती लकड़ी एवं काटों के संबंध में [illegible] द्वारा जारी निर्देश पूर्ववत लागू रहेंगे ।

16-9-85

(के०के०सेठी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

[illegible] भोपाल, दिनांक 16 सित 1985

[illegible]

1- [illegible], मध्य प्रदेश
2- [illegible], मध्य प्रदेश
3- [illegible] वन संरक्षक, उत्पादन/विकास
4/ समस्त वन संरक्षक, मध्य प्रदेश
5/ समस्त वन मंडलाधिकारी, मध्य प्रदेश

16-9-85

(के०के०सेठी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग